

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ कार्य-विभाजन संशोधन आदेश ॥

क्रमांक / ३५९ / S.W. / एक-5-1 / 2005-25

बड़वानी, दिनांक / 04 / 2025

--0--

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक B/195 (Exclusive POC SO)/III-6-5/2010 (FTSCS) C.S.S. दिनांक 23.04.2025 के द्वारा **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** के तहत जिला मुख्यालय बड़वानी की क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत प्रकरणों की सुनवाई हेतु अनन्य रूप से श्रीमती रेखा आर.चंद्रवंशी, तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश बड़वानी को अधिसूचित किया गया है।

अतः मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 2025 हेतु जारी कार्य विभाजन आदेशों एवं संशोधन आदेशों में निम्नानुसार संशोधन जारी करता हूँ:-

1/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 के अनुक्रमांक 3-न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के कॉलम क्रमांक 4 की कण्डिका "9-**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराध (OAW)** जैसे : बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य अपराध से उद्भूत प्रकरण। (पुलिस आरक्षी केन्द्र बड़वानी, पाटी, सिलावद, पलसुद, अंजड़, ठीकरी, जुलवानिया, राजपुर, ओझर, नांगलवाडी की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध)" तथा कण्डिका "11-**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे मामले, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की धाराएं भी हैं।**" को उक्त स्थान से विलोपित कर कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 24.02.2025 के अनुक्रमांक 3(b)-**न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी** के कॉलम क्रमांक 4 की कण्डिका 5 व 6 के रूप में जोड़ा जाता है।

2/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 108 दिनांक 10.02.2025 के अनुक्रमांक 5-**न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा के** कॉलम क्रमांक 4 की कण्डिका क्रमांक "22-आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली एवं खेतिया की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न विशेष अधिनियम **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** (पाक्सों एक्ट) से संबंधित प्रकरणों को प्राप्त कर रिमाण्ड प्रदाय करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व अंतरण हेतु सत्र न्यायालय बड़वानी को भेजेंगे।" को विलोपित किया जाता है।

3/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 108 दिनांक 10.02.2025 में अनुक्रमांक 5(a) न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा के कॉलम क्रमांक 4 की कण्डिका क्रमांक 18 के पश्चात् कण्डिका क्रमांक 19 निम्नानुसार जोड़ी जाती है:-

“19-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराध (OAW) जैसे : बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य अपराध से उद्भूत प्रकरण। (पुलिस आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली, खेतिया की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध)”

4/ कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 24.02.2025 में “न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश प्रभार में” अनुक्रमांक 2-परिवार न्यायालय बड़वानी, अनुक्रमांक 5(a)-तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

II न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश – प्रभार II

निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम क्रमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक 5 तथा कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक 6 में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायालय/न्यायालयों का आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	परिवार न्यायालय बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
4 (b)	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि., 2012 के तहत कार्य	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
	शेष समस्त कार्य	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बड़वानी

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(महेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 1052 /एक-5-1/2005-25

बड़वानी, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपि :- आदेशानुसार

- 01-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी।
- 02-विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।
- 03-प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।
- 04-प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी।
- 05-व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / सेंधवा / राजपुर।
- 06-प्रथम / तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी।
- 07-व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ / खेतिया।
- 08-अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा / राजपुर।
- 09-प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।
- 10-अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
- 11-प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
- 12-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

28/04/25
AP

प्रशासनिक अधिकारी,

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)